



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022023-243488
CG-DL-E-07022023-243488

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2023/माघ 17, 1944

No. 579]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2023/MAGHA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2023

का.आ. 608(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-367 के (चौड़ाई/चार-लेन, आदि) रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH367 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सक्षम प्राधिकरण	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कर्नाटक	बागलकोट	बादामी	1 नन्दिकेश्वर

	राष्ट्रीय राजमार्ग धारवाड़ - 1	NH367 के कि.मी. 71.5 से 104 तक			
--	-----------------------------------	---	--	--	--

[फा. सं. RW/NH/367/KNT/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2023

S.O. 608(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for (widening / four - laning, etc.), maintenace, management and operation of the National Highway No NH-367 in the State of KARNATAKA

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH367 in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition officer National Highways Dharwad - 1	71.5KM To 104KM	KARNATAKA	BAGALKOT	Badami	1 Nandhikeshwara

[F. No. RW/NH/367/KNT/2022]

RAJESH GUPTA, Director